राजस्थान सरकार
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
राजस्थान जयपुर

क्रमांक: विज्ञा/डी.आई.पी.आर/2025 जयपुर दिनांक :

प्रेषक : आयुक्त,
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग,
राजस्थान, जयपुर ।

प्रेषिति : सम्पादक
समस्त स्वीकृत/अनुमोदित दैनिक समाचार पत्र ।

विषय :- आगामी विधानसभा उपचुनाव, 2025-पम्पलेंटो, पोस्टरों इत्यादि के मुद्रण पर नियंत्रण।

संदर्भ :- कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जयपुर के आदेश क्रमांकःएफ.8(2)(1)निर्वा/2025 /4291, दिनांक 15.09.25 एवं भारत निर्वाचन आयोग का आदेश क्रमांक 3/9/(ES008)/94/JS-2 दिनांक 02.09.1994 एवं क्रमांक 03/09/2004/JS-2 दिनांक 24.08.2004 ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय एवं संदर्भ के क्रम में लेख है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आगामी विधानसभा उप चुनाव, 2025 के कार्यक्रम की घोषणा शीघ्र की जाने वाली है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127- क के प्रावधानों की पालना राज्य के समस्त मुद्रकों एवं प्रकाशकों के द्वारा की जानी है। समाचार पत्र भी इस श्रेणी में आते हैं। भारत निर्वाचन आयोग के प्रासंगिक आदेश दिनांक 02.09.1994 के निर्देशानुसार समस्त समाचार पत्रों के सम्पादकों को निर्वाचन विभाग से प्राप्त दिशा-निर्देशो की पालना सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

संलग्न -
1. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान जयपुर द्वारा सम्पादकों हेतु जारी नोटिस।

आयुक्त
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग
राजस्थान, जयपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandesh Nayak
Designation : Commissioner
Date: 2025.09.19 16:24:52 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 17861418

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandesh Nayak
Designation : Commissioner
Date: 2025.09.19 16:24:52 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 17861418

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकःएफ.8(2)(1)निर्वा/2025/ जयपुर, दिनांकः

प्रेषकः मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषितः सम्पादक

.....

.....

(समस्त दैनिक समाचार पत्र)

विषयः **आगामी विधानसभा उप चुनाव, 2025** – पम्पलेटों, पोस्टरों इत्यादि के मुद्रण पर नियन्त्रण।

संदर्भः भारत निर्वाचन आयोग का आदेश क्रमांक 3/9/(ES008)/94/JS-2 दिनांक 02.09.1994 एवं क्रमांक 3/9/2004/JS-2 दिनांक 24.08.2004

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आगामी विधानसभा उप चुनाव, 2025 के कार्यक्रम की घोषणा शीघ्र की जाने वाली है। निर्वाचन कार्यक्रम की जानकारी आपको विभिन्न समाचार माध्यमों से प्राप्त हो जायेगी तथा विभाग द्वारा भी यथासमय सूचित कर दिया जायेगा।

उक्त चुनाव के सिलसिले में विभिन्न राजनैतिक दलों, अभ्यर्थियों, उनके समर्थकों/कार्यकर्ताओं, व्यक्तियों, संगठनों, संस्थाओं द्वारा ऐसे पम्फलेट, पोस्टर, विज्ञापन, हैंडबिल आदि प्रकाशित कराने हेतु मुद्रित कराया जाना संभावित है, जो किसी राजनैतिक दल/अभ्यर्थी के पक्ष में या विपक्ष में चुनाव अभियान को प्रोत्साहित करने वाले हो सकते हैं।

ऐसे पम्फलेटों, पोस्टरों इत्यादि के मुद्रण पर नियंत्रण के संबंध में आपका ध्यान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127-क के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है जो निम्न प्रकार है :-

"127–क पैम्फलेटों, पोस्टरों इत्यादि के मुद्रण पर नियंत्रण –

(1) कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे निर्वाचन पैम्फलेट या पोस्टरों को प्रकाशित या मुद्रित नहीं करेगा या मुद्रित या प्रकाशित नहीं करायेगा, जिसके मुख पर उसके मुद्रक और प्रकाशक का नाम और पता न दिया हो।

(2) कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचक पैम्फलेट या पोस्टर का मुद्रण तब तक नहीं करेगा या करवायेगा –

(क) जब तक कि उसके प्रकाशक के पहचान की घोषणा उसके द्वारा हस्ताक्षरित और दो व्यक्तियों द्वारा, जिनको वह व्यक्तिगत रूप से जानता हो, सत्यापित कर दो प्रतियों में उसके द्वारा मुद्रक को नहीं दे दी जाती, और

(ख) जब तक कि दस्तावेज के मुद्रण के पश्चात् युक्ति संगत समय के भीतर घोषणा की एक प्रति दस्तावेज की एक प्रति के साथ, मुद्रक द्वारा –

(i) जहाँ वह मुद्रित हुआ हो, उस राज्य की राजधानी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को, और

(ii) किसी अन्य मामले में, उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट को, जहाँ वह मुद्रित किया गया हो, भेज न दिया जाये।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिये –

(क) किसी दस्तावेज की प्रतियों की संख्या को बढ़ाने के लिये हाथ द्वारा नकल करने को छोड़कर कोई भी प्रक्रिया को मुद्रक समझा जायेगा और 'मुद्रक पद' का तदनुसार अर्थ लगाया जायेगा, और

(ख) निर्वाचन पैम्फलेट या पोस्टर का तात्पर्य किसी मुद्रित पैम्फलेट हैंड बिल या अन्य दस्तावेज से है, जो किसी अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के समूह के निर्वाचन को प्रोत्साहित करने या पक्षपात/प्रतिकूल करने के लिये वितरित किया जाये या किसी इश्तहार या पोस्टर से है, जिसमें किसी निर्वाचन का कोई संदर्भ हो, किन्तु उसमें ऐसा कोई हैंडबिल, इश्तहार या पोस्टर सम्मिलित न होगा, जिसमें कि किसी निर्वाचन सभा की तिथि, समय, स्थान और अन्य का विवरण या निर्वाचन अभिकर्ताओं या कार्यकर्ताओं को सामान्य अनुदेश घोषित किये गये हों।

(4) कोई व्यक्ति, जो उपधारा (1) या उपधारा (2) के प्रावधानों का उल्लंघन करता है कारावास से, जिसको 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माने से, जिसे दो हजार रूपये तक बढ़ाया जा सकता है या दोनों सहित दण्डनीय होगा।"

उपरोक्त विषय में एवं उपरोक्त कानूनी प्रावधानों की कड़ाई से पालना कराने के प्रयोजन से भारत निर्वाचन आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का एवं इस निमित्त उसे सक्षमता प्रदान करने वाली समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आदेश सं. 3/9/(ES008)/94/JS-2 दिनांक 02.09.1994 प्रसारित किया है (जिसकी प्रति संलग्न है)।

अतः उक्त धारा 127–क के प्रावधानों एवं आयोग के उक्त आदेश दिनांक 02–09–1994 की पालना हेतु आप द्वारा निम्नांकित कार्यवाही संपन्न की जावें :–

1. उक्त धारा 127–क के प्रावधानों की अपेक्षानुसार यह सुनिश्चित किया जावें कि आपके द्वारा मुद्रित प्रत्येक निर्वाचन पैम्फलेट, पोस्टर या ऐसी अन्य सामग्री पर मुद्रकीय हाशियों में उसके मुद्रक एवं प्रकाशकों के नाम एवं पते स्पष्ट रूप से अंकित किये जाये।
2. किसी भी निर्वाचन पम्फलेट, पोस्टर इत्यादि के मुद्रण के कार्य को लेने से पूर्व धारा 127–क(2) की शर्तों के अनुसार निर्वाचन आयोग के उक्त आदेश दिनांक 2.9.1994 में दिये गये **परिशिष्ट–क** में विहित प्रपत्र में प्रकाशक से घोषणा प्राप्त की जावें। यह घोषणा पत्र प्रकाशक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित होगा और ऐसे दो व्यक्तियों द्वारा सत्यापित किया जायेगा जो प्रकाशक को व्यक्तिगत रूप से जानते हो।

3. धारा 127–क(2) के अधीन अपेक्षित प्रकाशक द्वारा प्राप्त की गई **परिशिष्ट–क** में घोषणा और मुद्रित सामग्री की 4 प्रतियाँ उसके मुद्रित किये जाने के 3 दिनों के भीतर जिला मजिस्ट्रेट को आप द्वारा प्रेषित की जायेगी।

4. उपरोक्त **परिशिष्ट–क** में विहित प्रपत्र में की गई घोषणा को जिला मजिस्ट्रेट को अग्रेषित करते समय आप द्वारा भी इसे प्रमाणित किया जायेगा।

5. उपरोक्त मुद्रित सामग्री की 4 प्रतियों एवं **परिशिष्ट–क** में उपरोक्त घोषणा पत्र के साथ भारत निर्वाचन आयोग के उक्त आदेश दिनांक 2.9.1994 में बताये गये **परिशिष्ट–ख** में विहित प्रपत्र में मुद्रित दस्तावेजों की प्रतियों की संख्या और ऐसे कार्य के लिये कीमत से संबंधित सूचना भी आप द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को उक्त निर्धारित तिथि के भीतर प्रस्तुत की जायेगी।

6. आप द्वारा मुद्रित प्रत्येक निर्वाचन पम्फलेट, पोस्टर, हैंडबिल, प्लेकार्ड, विज्ञापन आदि के संबंध में उपरोक्त वर्णित सूचना (परिशिष्ट–क, परिशिष्ट–ख एवं मुद्रित सामग्री की 4 प्रतियाँ) प्रत्येक ऐसे दस्तावेज के मुद्रण के तीन दिनों के भीतर सामूहिक रूप से नहीं बल्कि अलग–अलग रूप से जिला मजिस्ट्रेट को प्रेषित की जावें।

उपरोक्त धारा 127–क के किन्हीं भी प्रावधानों और भारत निर्वाचन आयोग के उपरोक्त आदेश दिनांक 2.9.1994, जिसकी प्रति संलग्न है में दिये गये निर्देशों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन/अतिक्रमण किये जाने पर कड़ी कानूनी कार्यवाही की जायेगी, जिसमें सुसंगत नियमों के अधीन मुद्रणालयों के अनुज्ञा पत्र को समाप्त किये जाने की कार्यवाही भी शामिल है।

अतः कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(नवीन महाजन)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर